न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

नारायणसिंह पुत्र श्री उमरदान, जाति–चारण, निवासी–उड, तह. व जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 01/2021

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री भैरुपालसिंह बालावत, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 29 नवम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 07/2020 में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2020 बाबत ग्राम उड, पटवार उड के खसरा संख्या 317 रकबा 0.0600 हेक्टेयर किस्म गोचर भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिचारी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। ग्राम उड के खसरा संख्या 317 व 321 की भूमि में अपीलार्थी सहित ग्राम उड के कई व्यक्तियों के आवास बने हुए है एवं मौके पर निवास कर रहे है जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत, उड व हल्का पटवारी को भलीभांति है। ग्राम पंचायत, उड द्वारा उक्त भूमि को आबादी भूमि में आवंटन करवाने हेतु उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था जिस तहसीलदार, सिरोही के माध्यम से हल्का पटवारी से जांच करवाई गई थी जिसमें पटवारी द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि मौका एवं रेकर्ड का मिलान करने पर ग्राम पंचायत उड की खसरा संख्या 321/633 में आवंटित आबादी भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही पाया गया। मौके का अवलोकन करने पर खसरा संख्या 321/633 से लगते हुए खसरा संख्या 327 में स्थित नाडी जो सुथार नाडी के नाम से जानी जाती है की पाल एवं कुछ भाग आबादी के खसरा संख्या 321/633 में से होकर निकासी है जिससे वर्षा ऋतु में उक्त खसरा संख्या में से पानी का बहाव होता रहता है, इसके अलावा कमेरी बांध की नहर एवं कदीमी रास्ता तथा 33000 केवी की हाईटेंशन विद्युत लाईन भी इसी खसरा संख्या 321/633 में से गुजरने से इस भूमि का आबादी के रुप में उपयोग नही हो पा रहा है तथा न ही भविष्य में आबादी के रुप में उपयोग [illegible] है [illegible] संख्या 321/633 से लगता खसरा संख्या 321 एवं 317 में पुरानी आबादी [illegible] हुई जिसमें कमजोर तबके के परिवार आवास बनाकर परिवार [illegible] खसरा संख्या

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

321/633 की आबादी को पुनः गोचर भूमि कर इसके बदले में खसरा संख्या 321 एवं 317 में बसी हुई आबादी की भूमि को आबादी में आवंटित की जाती है तो उचित रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी नारायणसिंह व अन्य ने खसरा संख्या 317 व 321 की भूमि के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट प्रस्तुत की थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 3213/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.2.2021 के द्वारा विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.12.2020 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी, उड रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, उड द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2077 में ग्राम उड, पटवार हल्का उड के खसरा संख्या 317 रकबा 0.0600 हेक्टेयर किस्म गोचर भूमि में परकोटा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित किया गया है। राजस्व रेकर्ड अनुसार विवादित भूमि गोचर भूमि है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 3213/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.2.2021 के द्वारा विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये है।

अतः अपीलार्थी की अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही को निर्देश दिये जाते है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 3213/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.2.2021 की पालना सुनिश्चित करे। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:03 IST
Reason: SelfAttested